

(नियम 24 का उपनियम 2 देखिए)

केवल निर्माण अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए प्रपत्र

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी
जिला-बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)

सेवा में,

श्री अय्यद नावेद शेर आदि
पुतगण मुनवर शेर
ग्राम मौदमपुर चौकी, जलपद बाराबंकी।

महोदय,

कालोनी मार्ग..... ग्राम मौदमपुर चौकी मोहल्ला/बाजार.....
नगर बाराबंकी के प्लॉट..... घर के खसरा सं० 52, 53, 54A, 54B, 55, 59, 105, 110 से 119
भवन सं० 0..... ग्राम 61/3/सिंग (शालीमार मन्तव्य स्वयंसेवा) में निर्माण/सारवान/परिवर्तन/मिसने के
लिए अनुज्ञा देने के आपके आवेदन-पत्र 235/2019 ग.ए.प.5/LIG दिनांक 26/09/2019
के संदर्भ में आपको सूचित करना है कि नियत प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर स्वीकृति दे दी
गयी है/ देने से इन्कार कर दिया है-

- स्वाभिविध विवादित पथ जगते पर मानचित्र स्वतः निस्तुत अमला जायेगा।
- भवन निर्माण के पश्चात् Completion Certificate प्राप्त करना होगा।
- अग्निशमन विभाग की शर्तों का पूर्णतया पालन करना होगा।
- प्रस्तावित स्थल पर जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवररेज एवं कूड़ा निस्तारण का अपेक्षा पत्र देना होगा।
- ई.डब्ल्यू.एस. व एल.ओ.आई.जी. भवनों का निर्माण कर शासनादेश के क्रम में
आवृत्ति करना होगा।
- मानचित्र स्वीकृत दिनांक से 5 (पांच) वर्षों तक मान्य होगा।
- रेनवाटर हावर्सिंग एवं वृद्धारोपण की व्यवस्था नियमानुसार करनी होगी।
- भवन उपविधि के अनुसार सम्पूर्ण प्रस्तावित/निर्माण स्थल पर सोलर
लाइट की व्यवस्था करनी होगी।
- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पत्र 2158/आ.नि.-के/वि.नि.-बाराबंकी/2019-20
दिनांक 02-12-2019 में दी गयी शर्तों का पूर्णतया पालन करना होगा।
- यह स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि गांव के मार्ग को
संलग्न मानचित्र की प्रतियां मानक के अनुसार अपनी भूमि से मांगीबिकार
कार्यालय सूचना संख्या 235/2019
दिनांक 09/12/2019

नियत प्राधिकारी
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी